न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्याः 09/2023

प्रार्थी

छोगालाल पुत्र सोनाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) मोहित कुमार पुत्र खंगारजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर, तह.–शिवगंज, जिला– सिरोही

(2) ग्राम पंचायत, कैलाशनगर जरिये सरपंच, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 08 सितम्बर, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार पुत्र खंगाराजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में जारी भवन निर्माण ईजाजत पत्र क्रमांकः2022–23/SP2 दिनांक 15.2.2023 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किये गये निगरानी आवेदन के साथ साथ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(2) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी मोहित कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशनामा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी मोहित कुमार की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने इस न्यायालय में एक निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार के पक्ष में जारी भवन निर्माण इजाजत पत्र दिनांक 15.2.2023 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, जिसमें दर्ज अभिवचनों अनुसार सफल होने की पुर्ण आशा है। यह कि ग्राम कैलाशनगर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में प्रार्थी छोगालाल पुत्र सोनाजी पुरोहित के कब्जे अधिकार एवम् स्वामित्व की आवासीय मकान आया हुआ है, जिसका पट्टा विलेख संख्या 27 दिनांक 22.7.1966 को ग्राम पंचायत, कैलाश्नगर द्वारा प्रार्थी के पिता सोना पुत्र रुपाजी के नाम से जारी किया हुआ है। अप्रार्थी मोहित कुमार के पिता खंगार पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी कैलाशनगर के नाम से जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 03.11.2011 के आवासीय भूखण्ड के उत्तर दिशा में प्रार्थी छोगालाल का आवासीय मकान आया हुआ है, जहां प्रार्थी छोगालाल मय परिवार सहित निवास करता है। यह कि अप्रार्थी मोहित कुमार ने अपने पिता खंगार पुत्र झालाजी पुरोहित,

...पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*

निवासी कैलाशनगर की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से मेल मिलाप कर दिनांक 15.2.2023 को भवन निर्माण ईजाजत पत्र प्राप्त किया है। ग्राम पंचायत कैलाशनगर द्वारा जारी भवन निर्माण ईजाजत पत्र राजस्थान पंचायती राज नियमों के खिलाफवर्जी में मनमानेपुर्ण तरीके से गलत रूप जारी किया है, जो कानूनन निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत कैलाशनगर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही ने भवन निर्माण ईजाजत पत्र जारी करने से पूर्व किसी भी तरह से विधिक प्रकिया की पालना नहीं की है। भवन निर्माण ईजाजत पत्र किस पट्टेशुदा आवासीय सम्पति भूखण्ड पर निर्माण के संबंध में उसका उल्लेख भवन ईजाजत पत्र में नहीं है, भवन निर्माण इजाजत पत्र प्रिन्टेड फार्म में जारी किया है, जिसमें अधिकांश कॉलम खाली है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने भवन निर्माण इजाजत पत्र जारी करने से पहले आपत्ति नोटिस जारी नही किया है एवं न ही भूमि का मौका निरीक्षण किया है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा प्रस्ताव पारित किये बिना ही सरपंच व सचिव, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने विधि विरूद्ध तरीके से भवन निर्माण इजाजत पत्र जारी किया है। अप्रार्थी मोहित कुमार द्वारा मौके पर कानून की खिलाफवर्जी में मनमानेपुर्ण तरीके से अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रार्थी छोगालाल के आवासीय मकान को भारी क्षति कारित हो रही है। प्रार्थी के आवासीय मकान की दिवारें व उस पर किये गये रंगरोगन को अप्रार्थी मोहित कुमार द्वारा किये जा रहे गलत निर्माण से नुकसान कारित हो रहा है, जिससे प्रार्थी छोगालाल की आवासीय सम्पति को लाखों रूपये की क्षति कारित हो रही है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने निर्माण ईजाजत पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्रार्थी छोगालाल की सम्पति की सुरक्षा के संबंध में अप्रार्थी मोहित कुमार कोई निर्देश नही दिये है एवं न ही प्रार्थी छोगाराम की सम्पति को किसी तरह की कोई सुरक्षा बाबत् इंतजाम ही किये है। अप्रार्थी मोहित कुमार द्वारा किया जा रहा निर्माण फर्जी तरीके से प्राप्त निर्माण ईजाजत की आड में किये जाने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.3.2023 को निर्माण कार्य रोकने एवं प्रश्नगत भूखण्ड के मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। अप्रार्थी मोहित कुमार द्वारा किये जा रहे गलत निर्माण कार्य करने से प्रार्थी छोगाराम की आवासीय सम्पति को अपूरणीय क्षति हो सकती है, जिसका रूपयों में आंकलन नहीं किया जा सकता है। सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी छोगाराम के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला निगरानी आवेदन निर्माण कार्य को रोकने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी मोहित कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री नामा ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी मोहित कुमार के पिता खंगाराजी पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा पट्टा विलेख संख्या 18 दिनांक 03.11.2011 को जारी किया हुआ है। अप्रार्थी मोहित कुमार के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। अप्रार्थी मोहित कुमार ने अपने पिता खंगार जी के नाम से ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 18 दिनांक 03.11.2011 की आवासीय भूमि पर भवन निर्माण करने हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार के पक्ष में नियमानुसार भवन निर्माण ईजाजत पत्र दिनांक 15.2.2023 को जारी किया है। अप्रार्थी मोहित कुमार द्वारा अपने पिता के नाम से जारी पट्टेशुदा भूमि पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से विधिवत भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर कर पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, लेकिन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.3.2023 को एकपक्षीय [illegible] कार्य रोकने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित [illegible] अप्रार्थी मोहित कुमार अपने पिता के नाम से जारी उक्त प[illegible] है। मौके पर

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर सिरोही

भवन निर्माण हेतु रखी सामग्री बारिश के मौसम से खराब हो रही है। अप्रार्थी मोहित द्वारा पट्टेशुदा भूमि पर भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अप्रार्थी के निर्माण कार्य करवाने से प्रार्थी की दिवार को कोई क्षति नही हो रही है, बल्कि प्रार्थी छोगाराम की दिवार की सुरक्षा होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी मोहित कुमार के पक्ष में है एवं यदि अप्रार्थी मोहित कुमार को पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोका जाता है तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थी मोहित कुमार को होगी। अतः प्रकरण में पारित स्थगन आदेश दिनांक 02.3.2023 को निरस्त करके प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहित कुमार के पक्ष में जारी भवन निर्माण इजाजत पत्र क्रमांकः2022–23/SP1 दिनांक 15.2.2023 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत एक निगरानी आवेदन इस न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साथ प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(2) के तहत हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 68 में भवन अनुज्ञा जारी करने का प्रावधान है।

चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थी मोहित कुमार द्वारा उसके पिता खंगार जी पुत्र झालाजी पुरोहित, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 03.11.2011 की भूमि पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से भवन निर्माण की ईजाजत प्राप्त कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में, सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी मोहित कुमार के पक्ष में निहित होना साबित होता है, साथ ही निगरानीकार/प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी पट्टेशुदा भूमि पर ग्राम पंचायत से अनुज्ञा प्राप्त कर भवन निर्माण करने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में किस प्रकार निहित हो सकता है। यह भी स्पष्ट है कि यदि प्रार्थी को उसके पट्टेशुदा भूमि पर ग्राम पंचायत के भवन अनुज्ञा के बावजूद भवन निर्माण कार्य करने से रोका जाता है तो अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना स्वाभाविक है, साथ ही प्रार्थी यह भी साबित करने में असफल रहा है कि यदि अप्रार्थी को उसके पट्टेशुदा भूमि पर भवन निर्माण कार्य करने से नही रोका जाता है तो प्रार्थी को किस प्रकार से अपूरणीय क्षति होना संभव है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना उचित एवं विधि सम्मत होगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं ना साबित होने से प्रकरण में पारित स्थगन आदेश दिनांक 02.3.2023 को निरस्त करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(भँवर भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested